न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 259/2020 अपील (GCMS/2020/00281)
पंजीयन दिनांक - 04.08.2020
निर्णय दिनांक - 15.12.2021

1. **श्रीमती नवली पिता श्री हीरा जी मीणा, निवासी डूंगरीफला पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्री सोमला (सोमा) पिता श्री खातु मीणा, निवासी डूंगरीफला पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
2. **ग्राम पंचायत पडूणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पडूणा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री कुन्दन सोनी, विशाल जी - वकील अपीलार्थी

प्रकरण संख्या-02/2019, में श्रीमती नवली बनाम श्री सोमला मीणा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 15.12.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-02/2019, में श्रीमती नवली बनाम श्री सोमला मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्रीमती नवली द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष ग्राम पंचायत पडूणा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-13 दिनांक 24.12.1966 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की एवं कथन किया कि ग्रावं डूंगरी फला, पटवार हल्का पडूणा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में श्री हीरा पिता पूना मीणा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्नलिखित आराजीयात भूमि वाके काश्त स्थित है-आ.न. 42 से 46, 55 से 59, 1016 से 1019, 1195, 1196, 1198, 1199, 1205, 1621, 1622, 1641, 1647, 1652, 1656, 1658, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1674, 1687 कुल किता 36 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा है जिसके हाल आराजी नम्बर निम्न प्रकार है-303, 303, 316 से 323, 326 से 332, 334, 335, 1380 से 1382,

1772, 1773, 2592, 2593, 2593 से 2596, 9005/407, 9007/1388 कुल किता 31 रकबा 3.9350 है। उक्त वर्णित आराजीयात भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज श्री हीरा पिता पूना मीणा जो अपीलान्ट के पिता है। श्री हीरा की मृत्यु उपरान्त उसकी जायन्दा पुत्री होने उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या-1 सोमला, जो की हीरा के भाई का पुत्र है, के नाम नामान्तरकरण संख्या-13 स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को 22.04.2019 को हुई और उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 17.03.2020 से उक्त अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि **"न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट के पिता पुना थे, जिनकी एकमात्र जाईन्दा लडकी अपीलांट है अपीलान्ट ही उक्त वर्णित आराजीयात की एक मात्र मालिक थी। इसके बावजूद 1966 में नामान्तरकरण में उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट को नहीं मिलकर अपीलान्ट के पिता के भाई का पुत्र रेस्पाडेंट संख्या 1 नाम दर्ज की गई। अपीलान्ट मीणा समाज की है, जिसमें ओल्ड हिन्दु लॉ अथवा पारम्परिक एक्ट इस समाज पर लागू नहीं होता है।** old Hindu law **में पुत्रियों का अपने पिता की सम्पत्ति पर सीमित हक ही होता है, और वह उन परिस्थितियों में होता है जिनमें पुत्री अपना गुजारा स्वयं अथवा अपने ससुराल पक्ष की मदद से करने में असमर्थ हो। परन्तु यहां ऐसी किसी भी परिस्थिति का विवरण नहीं दिया गया है, केवल हिन्दू सक्शेसन एक्ट के आधार पर जो रिलीफ (दाद) चाही गई है जो कि इस मामलें** (case) **मे लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।"**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 04.08. 2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 14.12.2021 को वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थीगण की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि ग्रावं डूंगरी फला, पटवार हल्का पडूणा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में श्री हीरा पिता पूना मीणा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्नलिखित आराजीयात भूमि वाके काश्त स्थित है-आ.न. 42 से 46, 55 से 59, 1016 से 1019, 1195, 1196, 1198, 1199, 1205, 1621, 1622, 1641, 1647, 1652, 1656, 1658, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1674, 1687 कुल किता 36 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा है जिसके हाल आराजी नम्बर निम्न प्रकार है-303,

303, 316 से 323, 326 से 332, 334, 335, 1380 से 1382, 1772, 1773, 2592, 2593, 2593 से 2596, 9005/407, 9007/1388 कुल किता 31 रकबा 3.9350 है। उक्त वर्णित आराजीयात भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज श्री हीरा पिता पूना मीणा जो अपीलान्ट के पिता है। श्री हीरा की मृत्यु उपरान्त उसकी जायन्दा पुत्री होने उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या-1 सोमला, जो की हीरा के भाई का पुत्र है, के नाम नामान्तरकरण संख्या-13 स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को 22.04.2019 को हुई और उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों के विपरित आदेश देने में भारी भूल की है। अपीलान्ट श्री हीरा की जायन्दा पुत्री होकर एक मात्र वारिस है, परन्तु रेस्पोडेंट-2 ने जानबुझकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम विरासत से नामान्तरकरण खोलने में कानुनी भुल की है। आलोच्य निर्णय दिनांक 17.03. 2020 को पारित किया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी, न ही अधिवक्ता ने अपीलान्ट को सूचित किया। इतने में लॉकडाउन होने के पश्चात जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गईं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर ग्राम पंचायत के आदेश को बहाल रखा जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2020 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2021, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020 में दिनांक 15.03. 2020 से 02.10.2021 तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है।** उक्त आदेश की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावलियों के अवलोकन से निर्विवादित स्थिति है कि मृतक हीरा मीणा के एकमात्र पुत्री श्रीमती नवली मीणा है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलार्थीया श्रीमती नवली मीणा का प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में दर्ज नहीं किया। हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय परिक्षणोंपरान्त यह पाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में श्री हीरा मीणा कोई जायन्दा पुत्री नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जबकि उसकी अपीलार्थीयां एकमात्र पुत्री होना निर्विवादित है। यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किये जाते समय नियमानुसार जांच की कार्यवाही नहीं की गई, न ही अपीलार्थी को सूचित किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिए था, जो ग्राम पंचायत द्वारा

नहीं किया। न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सूचित किया गया और उसे सुना गया हो। न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिपेक्ष्य में जांच की गई, जो अपेक्षित थी।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय का कथन है कि अपीलार्थी जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति के है, जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि इस मामलें में खातेदार अनुसूचित जनजाति मीणा का सदस्य है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए जैसाकि 1966 आरआरडी पृष्ठ 71 और 1988 आरआरडी पृष्ठ 61 दोनों में यह निर्धारित किया गया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2(2) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के मामलें में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान तभी लागु हो सकते है, जबकि भारत सरकार राजपत्र में इस हेतु अन्यथा अधिसूचना जारी करे कि अमुक अनुसूचित जनजाति के लिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू है। तभी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान और उसके अनुसार उत्तराधिकार का निर्धारण किया जा सकता है। इस न्यायालय की जानकारी में किसी पक्ष द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना पेश नहीं की गई है। अब यहा यह प्रश्न रहता है कि मृतक पुना के उत्तराधिकारी रूप में पुराने हिन्दु लॉ अथवा ऐसा कोई कस्टमरी लॉ, जो कि मीणा जाति के लिये वैयक्तिक कानून हो, उसके अनुसार ही इस मामलें में उत्तराधिकार का निर्धारण हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में मूल्ला प्रिसिंपल ऑफ हिन्दु लॉ के पन्द्रवें संस्करण का अवलोकन किया गया, जिसमें पुरानी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें पृष्ठ संख्या 118 से 132 में सपिण्डा में मध्य उत्तराधिकार के क्रम का निर्धारण किया हुआ है इसमें किसी पुरूष की मृत्यु पर उसके सपिण्डा निर्धारित क्रम अनुसार ही सम्पत्ति की विरासत प्राप्त कर सकते है। इसमें दी गई धारा 43 में क्रमशः 1 से 3 में दिये गये सपिण्ड, जिसमें मृतक की विधवा, पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र एवं उनकी विधवा की प्रथम विरासत के रूप में आते है, पुत्र प्राकृतिक रूप भी हो सकता है और गोद पुत्र भी हो सकता है। यह प्रथमतः उत्तराधिकारी के अधिकार है। मृतक की लड़की उत्तराधिकार की तभी अधिकारी है, जबकि मृतक की विधवा भी मर गई हो। उक्त विधिक स्थिति में यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जांच नहीं की गई। न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिपेक्ष्य में जांच की गई, जो अपेक्षित थी।

उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय स्व. श्री हीरा मीणा के विधिक वारिसानों की जांच कर उक्त विधिक विवेचन के दृष्टिगत नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2020 अपास्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के उपरोक्त पेरा में किये गये वर्णन एवं विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में स्व. हीरा मीणा के वैध वारिसानों की जांच कर सभी

पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर